न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–03/2014

उनवान

वैदप्रकाश गुप्ता(HUF)पुत्र स्व. श्री मोहनलाल गुप्ता उम्र 63 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 495–496, नेमीसागर कालोनी, वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर (राज0)।

–वादी

बनाम

1. बालूराम पुत्र पन्नाराम
2. शंकरलाल पुत्र नाथूराम
3. मुकुन्दीलाल पुत्र स्व. हीरालाल
4. विजयलाल पुत्र स्व. हीरालाल
5. मन्नी देवी पत्नी स्व. हीरालाल

   समस्त जाति अहीर निवासी बाढावाली तन ग्राम ढोढसर तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
7. उप–पंजीयक महोदय,उप पंजीयक कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। व0फ0 उप0। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने प्रा0पत्र आपत्ति कुर्रेजात में कथन किया कि कुर्रेजात प्रस्ताव काश्तकारों को सूचित किये बिना पूर्व की भांति वादी से मिलीभगत कर बनाई गई है। विवादित भूमि का मौके पर कोई सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा नहीं किया गया। विशिष्ट भू–भाग जो कुर्रेजात प्रस्ताव में वादी का बताया गया है उस पर वादी का कब्जा नहीं है तथा मौके व रिकॉर्ड से

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

भिन्न कुर्रेजात प्रस्ताव बनाकर पेश किये गये है। पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

वकील वादी ने प्रा0पत्र का जवाब न देकर सीधी ही बहस करना जाहिर किया। वकील वादी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में तीन बार कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण येन केन आपत्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाना चाहते है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मौकें व रिकॉर्ड के अनुसार एवं सभी काश्तकारों की रास्ते की सुविधा को भी ध्याान में रखते हुए बनाये गये है। प्रस्तावित कुर्रेजात में दर्शायी गई भूमि ही वादी द्वारा क्रय की गई थी जिसके चारो तरफ बाउण्ड्री वाल बनाई हुई है एवं सभी खातेदारों को रोड पर लगवा भूमि दी गई है। आपत्ति केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा ही की गई है, अन्य खातेदारों द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गई है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट सही है। आपत्ति कुर्रेजात को खारिज करने एवं प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा खातेदारों का रिकार्ड व मौकें अनुसार तकासमा किया जाना है। प्रकरण में दो बार पूर्व में भी कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवायी गई जा चुकी हैं। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण उपस्थित होना अंकित किया है किन्तु हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है जिससे यहः प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुकदमें को देरी करने की नियत से बार–बार आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाना चाहते है। आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के हिस्से व रिकॉर्ड व मौके के अनुसार एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाये गये है जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाये गये है, जिसमें कोई त्रुटी नहीं पायी गई हैं। अतः प्रा0पत्र आपत्ति कुर्रेजात को खारिज किया जाता है एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.12.2018 के अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नं0 297 / 2 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नं0 298 रकबा 1.31 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 3.25 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बाढ़ावाली तन ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.12.2018 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः–

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0—03/2014
उनवान—वेदप्रकाश बनाम बालूराम वगै0
निर्णय दिनांकः—03.01.2019

1. एच.यू.एफ. वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल, जाति महाजन, सा0 नेमीसागर कॉलोनी, वेशाली नगर खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2472/297 रकबा 0.4085 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4085 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. बालूराम पुत्र पन्नाराम, जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2470/297 रकबा 0.0800 है0, ख0नं0 2468/298 रकबा 0.9433 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.0233 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. मुकन्दीलाल, विजयपाल पुत्रान हीरालाल, मन्नी देवी पत्नि हीरालाल, जाति अहीर, राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 297/2 रकबा 1.0233 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0233 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शा में नारंगी रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. शंकरलाल पुत्र नाथूराम, जाति अहीर, सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2471/297 रकबा 0.4282 है0, ख0नं0 2469/298 रकबा 0.1867 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.6149 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. मुकन्दीलाल, विजयपाल पुत्रान हीरालाल हिस्सा 1/3 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, बालूराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा 1/3, शंकरलाल पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/3, जाति अहीर, सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 298 रकबा 0.1800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

मु0सं0–03/2014
उनवान–वेदप्रकाश बनाम बालूराम वगै0
निर्णय दिनांकः–03.01.2019

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

उनवान

वैदप्रकाश गुप्ता(HUF)पुत्र स्व. श्री मोहनलाल गुप्ता उम्र 63 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 495–496, नेमीसागर कालोनी, वैशाली नगर जयपुर जिला जयपुर (राज0)।

–वादी

बनाम

1. बालूराम पुत्र पन्नाराम
2. शंकरलाल पुत्र नाथूराम
3. मुकुन्दीलाल पुत्र स्व. हीरालाल
4. विजयलाल पुत्र स्व. हीरालाल
5. मन्नी देवी पत्नी स्व. हीरालाल
   समस्त जाति अहीर निवासी बाढावाली तन ग्राम ढोढसर तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
7. उप–पंजीयक महोदय,उप पंजीयक कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–03/2014

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि खसरा नं0 297/2 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नं0 298 रकबा 1.31 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 3.25 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बाढ़ावाली तन ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.12.2018 निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैः–

1. एच.यू.एफ. वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल, जाति महाजन, सा0 नेमीसागर कॉलोनी, वेशाली नगर खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2472/297 रकबा 0.4085 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4085 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. बालूराम पुत्र पन्नाराम, जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2470/297 रकबा 0.0800 है0, ख0नं0 2468/298 रकबा 0.9433 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.0233 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

3. मुकन्दीलाल, विजयपाल पुत्रान हीरालाल, मन्नी देवी पत्नि हीरालाल, जाति अहीर, राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 297/2 रकबा 1.0233 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0233 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शा में नारंगी रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. शंकरलाल पुत्र नाथूराम, जाति अहीर, सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2471/297 रकबा 0.4282 है0, ख0नं0 2469/298 रकबा 0.1867 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.6149 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. मुकन्दीलाल, विजयपाल पुत्रान हीरालाल हिस्सा 1/3 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, बालूराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा 1/3, शंकरलाल पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/3, जाति अहीर, सा. देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 298 रकबा 0.1800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ... . को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 03.01.2019 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा चौमूँ (जयपुर)...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner